छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 247/2009

1. श्री रमेश गुप्ता, – *अपीलार्थी*
हनु ट्रेडर्स, सीपत रोड सरकण्डा,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* – *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय तहसीलदार,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 28 अप्रैल, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी रमेश गुप्ता द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 17.07.2008 एवं 19.08.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय तहसीलदार, बिलासपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर चाही गई जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा दिनांक 11.09.2008 को प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, किन्तु उक्त अपील का समयावधि में निराकरण नहीं होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.01.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्षों के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में अपीलार्थी ने दिनांक 17.07.08 को प्रतिअपीलार्थी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्रदान करने हेतु निवेदन किया । अपीलार्थी द्वारा चाही जानकारी उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–340 द.प्र.सं. से संबंधित है । उक्त आवेदन पत्र दिनांक 29.01.08 को अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय से प्रतिअपीलार्थी को प्रेषित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही संबंधित जानकारी की मांग की गई है ।

3/ प्रतिअपीलार्थी ने ज्ञापन दिनांक 19.08.08 के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि उनके द्वारा चाही जानकारी संबंधित अभिलेख खोजबीन करने के उपरांत भी उपलब्ध नहीं हो सके हैं । साथ ही अपीलार्थी से निवेदन किया कि यदि उनके पास उक्त अभिलेख/आवेदन पत्र की छायाप्रति हो तो उसे उपलब्ध करायें, जिससे कि आवश्यक कार्यवाही कर अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके । प्रतिअपीलार्थी ने अपीलार्थी के द्वारा किए गए तर्क कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबुझकर चाही जानकारी संबंधित अभिलेख को गायब कर दिया है, का खण्डन करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–340 द.प्र.सं. पर छः माह तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उस संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु उक्त समयावधि में अपीलार्थी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए गए और न ही प्रतिअपीलार्थी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उक्त संदर्भ में कोई पत्र प्रस्तुत किया गया ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

4/ प्रतिअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का अवलोकन करने के बाद प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध न कराने के पीछे प्रतिअपीलार्थी की कोई दुर्भावना नहीं है । अतः उसके विरूद्ध शास्ति अधिरोपित करने की आवश्यकता नहीं है । अपीलार्थी द्वारा चाही जानकारी का संबंध प्रतिअपीलार्थी के समक्ष लंबित न्यायालयीन प्रकरण से है। यदि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा किसी प्रकरण पर की गई कार्यवाही से अथवा कार्यवाही न करने से अपीलार्थी असंतुष्ट हो तो उचित समयावधि में उसके द्वारा वरिष्ठ न्यायालय की शरण ली जा सकती है। अपीलार्थी को चाही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। अपीलार्थी द्वारा चाही जानकारी संबंधित दस्तावेज गुम हो गए हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि दस्तावेज गुम होने के लिए जिम्मेदार कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। साथ ही अपीलार्थी के द्वारा चाही जानकारी संबंधित अभिलेखों को ढूंढ़ने का पुनः प्रयास किया जावे। उक्त अभिलेख मिलने पर अपीलार्थी को चाही जानकारी निःशुल्क दी जावे।

5/ उक्त निर्देशों के साथ इस अपील प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

(अनिल जोशी)
राज्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com